# राजस्व लोक अदालत–2015

## लोक अदालत के समक्ष

स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची / वादी / परिवादीः–भोलू पुत्र छोटू जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील देवली

प्रतिवादी / प्रत्यर्थीः–तहसीलदार देवली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की कार्यवाही संख्याः–81 / 2014

उपस्थितः–श्री महेश भारद्वाज, अभिभाषक अपी0 / श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

अध्यक्ष का नामः– श्री भगवान सहाय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नामः– अभिभाषक श्री रामदेव बैरवा.

**अधिनिर्णय** **दिनांक 17.06.2015.**

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले / विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट तहसीलदार देवली के समक्ष इस आश्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका विवादित भूमि पर कोई पक्का निर्माण नहीं है, भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार भी जांच कर सुनिश्चित करलें कि अपीलाण्ट को विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में तहसीलदार देवली का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

Mazhar Al

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

याची / वादी / परिवादी

सदस्य
(रामदेव बैरवा ऐड0)

अध्यक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय मुद्रा
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner